न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/424

1. गणेश लाल आत्मज स्वर्गीय गेन्दी लाल जी जाति प्रजापति निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. स्व0 मथुरा लाल आत्मज स्वर्गीय गेन्दीलाल जाति प्रजापति निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   2/1. जगदीश प्रजापति आत्मज स्वर्गीय श्री मथुरा लाल जाति प्रजापति निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/2. श्रीमती गुड्डी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री मथुरा लाल पत्नी श्री बाबूलाल जाति प्रजापति निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/3. श्रीमती बेबी पुत्री स्व0 श्री मथुरा लाल पत्नी श्री महावीर जाति प्रजापति निवासी ग्राम घाटका बराना तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।
   2/4. श्रीमती कैलाश बाई बेवा स्व0 मथुरा लाल जाति प्रजापति निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 268/8 की 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त आराजी पूर्व में पांथ्या कुम्हार के खाते में थी । गेन्दीलाल के पिता का नाम पांथ्या था । सेटलमेंट विभाग वालों ने वादीगण के पिता श्री गेन्दया जी के पिता का नाम

गेन्दी लाल आत्मज पांथूलाल के स्थान पर गेंदीलाल आत्मज नाथूलाल अंकित कर दिया जो त्रुटिपर्ण है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं । गेद्या जी आत्मज पांथ्या जी के खसरा नम्बर 302/142 की पक्की सडके के नीचे 02 बीघा आराजियात स्थित थी जो उन्हें आवंटित हुई थी जिसे भी सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका नया खसरा नम्बर 317 का 0.1 और 318 का 0.09 हैक्टर डाला गया जबकि रकबा 0.32 हैक्टर होना चाहिए था । इस प्रकार सेटलमेंट विभाग ने रकबे को कम अंकित कर सिवायचक भूमि दर्ज कर दी और उस पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिा जारी दिये जो त्रुटिपूर्ण है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण पुराने खसरा नम्बर 302/142 जिसके नये नम्बर 268/8 और तत्पश्चात् 317 व 318 डले गये हैं उसका पूर्ण रकबा 0.32 हैक्टर दर्ज किया जाये तथा रिकॉर्ड में गेंदीलाल आत्मज नाथूलाल उसके स्थान पर गेंद्या पुत्र पांथ्या अर्थात् गेंदीलाल आत्मज पांथूलाल अंकित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 29.06.2016 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में गेन्दीलाल के पिता पांथ्या जी के खाते में दर्ज थी । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने गेन्दीलाल जी के पिता का नाम पांथूलाल के स्थानर पर गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से नाथूलाल अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत एवं त्रुटिपूर्ण है जिसका भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद में दिनांक 16.05.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2016 नियत की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त वाद का निस्तारण लोक अदालत में रख दिया । लोक अदालत में सीपीसी की पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था और यह कथन किया था कि गेन्दीलाल जो कि वादीगण के पिता हैं उनकी ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 268/8 की 08 बिस्वा भूमि स्थित थी । यह आराजी पूर्व में गेन्दीलाल के पिता पांथ्या जी कुम्हार के खाते में दर्ज थी । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने गेन्दीलाल जी के पिता का नाम पांथूलाल जी के

स्थान पर नाथूलाल गलत रूप से दर्ज कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था । गेन्दया जी के खसरा नम्बर 302/142 की पक्की सडक के नीचे 02 बीघा आराजी स्थित थी जो उन्हें आवंटित की गई थी जिसे भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.05.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2016 नियत की गई और बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान ने किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं किया है और न ही कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए हैं । कैम्प कोर्ट का नोटिस भी वादीगण अपीलान्ट को नहीं मिला है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है । गणेश राम कोर्ट कैम्प में उपस्थित हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ढ ने वाद पेश कर कथन किया था कि उनके पिता गेन्दीलाल की ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 268/8 की 08 बिस्वा भूमि स्थित थी । यह आराजी पूर्व में गेन्दीलाल के पिता पांथ्या जी कुम्हार के खाते में दर्ज थी । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने गेन्दीलाल जी के पिता का नाम पांथूलाल जी के स्थान पर नाथूलाल गलत रूप से दर्ज कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था । गेन्दया जी के खसरा नम्बर 302/142 की पक्की सडक के नीचे 02 बीघा आराजी स्थित थी जो उन्हें आवंटित की गई थी जिसे भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । दावा साक्ष्य वादी में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया लोक अदालत में वादीगण में से सिर्फ वादी क्रम 1 गणेश लाल की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है उसी दिन दावा वादीगण खारिज किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पत्रावली प्राप्ति से 04 माह के अन्दर नये से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा